

प्रेषक

श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष  
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1997।

विषय : लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान। -

महोदय,

वित्त (बीमा)

अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सरकारी सेवाकाल में लापता हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान उनके लाभार्थियों को सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किया जा सकता है।

2—वर्तमान नियमों के अन्तर्गत लापता सरकारी सेवकों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ—यथा; पारिवारिक पेशन, ग्रेचुटी आदि का भुगतान उसके अधितों को, लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कठिनपय शर्तों के अधीन किया जा सकता है जबकि सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान सात वर्ष के उपरान्त ही किये जाने की व्यवस्था है। फलस्वरूप लापताकर्मी के आश्रितों/लाभार्थियों को दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध का निराकरण करने के साथ ही योजना की कल्याणकारी छवि को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से उक्त सम्बन्धित शासनादेश संख्या बीमा—641/दस-96-110(ए)/94, दिनांक 18 जुलाई, 1996 को एवं द्वारा संशोधित करते हुए लापता अधिकारियों/कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्मांकित प्रक्रिया निर्धारित करने के राज्यपाल द्वारा सर्वांगीच आदेश प्रदान किये गये हैं:-

(1) लापता सरकारी सेवकों के मापदंडों में मासिक अभियान की कटौती उसके लापता होने के माह तक ही की जायेगी तथा तदनुसार ही उस माह में प्रमाणीकृत देयों की गणना की जायेगी।

(2) सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर बचत निधि में जमा धनराशि तथा उस पर देय व्याज लापता होने के माह की अन्तिम तिथि तक का भुगतान किया जायेगा।

(3) बचत निधि में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभार्थियों द्वारा लापता होने के माह के एक वर्ष पश्चात् एक प्रार्थना-पत्र, जोरदारी द्वारा प्रमाणित शपश-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि, अमुक व्यवित जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक रूपान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया है और लापता होने की तिथि से उत्ते आज तक कहीं देखा-मुग्ना नहीं गया है। इस विषय में सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस रेंजर में दर्ज कराई गयी प्रथम सूखना रपट की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जाये।

(4) उक्त प्रार्थना-पत्र, सरकारी सेवक की योजनान्तर्गत हुई कटौतियों के विवरण के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को इस अम्युक्ति के साथ अप्रसारित किया जायेगा कि चूंकि अमुक कर्मचारी उपरोक्त अवधि में कहीं देखा-मुग्ना नहीं गया है, अतः सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत कुल देय धनराशि में से बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान व्याज सहित उसके लाभार्थी/लाभार्थियों को कर दिया जाय।

(5) परीक्षणोपरान्त, दावा यथाविधि सही पाये जाने पर, निदेशालय द्वारा बचत निधि में जमा धनराशि का भुगतान, व्याज सहित, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) यदि किसी कर्मचारी का योजनान्तर्गत मासिक अभिदान किन्हीं कारणों से कतिपय अवधि/अवधियों के लिये नहीं काटा गया है और वह इस बीच लापता हो गया हो तो उक्त अवधि/अवधियों के अभिदान की कुल धनराशि उसके लाभार्थी/लाभार्थियों से देजरी चालान द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराई जायेगी और दावे के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इसकी प्रमाणित छाया प्रति भी अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित नहीं जायेगी।

3—(1) बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के लापता होने के माह के पश्चात् सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मृत माने जाने की दशा में ही देय होगा।

(2) उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु लापता सरकारी सेवक के लाभार्थी/लाभार्थियों को लापता होने के माह के सात वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पुनः इस आशय का एक ग्रार्थना-पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा कि अमुक व्यक्ति जिसके देयों को प्राप्त करने हेतु वह लाभार्थी है, सरकारी सेवाकाल में अमुक स्थान से अमुक तिथि व समय से लापता हो गया था और विगत सात वर्षों से आज तक उसे कहीं देखा-मुना नहीं गया है। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रपट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। अतः “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872” की धारा 108 के परिणेश्य में उसे मृत परिकल्पित करते हुये सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत उसके बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान कर दिया जाय। ग्रार्थना-पत्र में बचत निधि की धनराशि के भुगतान की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर कम से कम एक हिन्दी व एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय स्तर के तथा दो प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में विशिष्ट रूप से एतदसम्बन्धी विज्ञापन, जिसका प्रारूप (हिन्दी व अंग्रेजी में) परिशिष्ट-एक में दिया गया है, प्रदर्शित कर आपत्तियां विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर आमंत्रित करेंगे। यदि इस आशय के कोई नहीं प्राप्त होती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों (लाभार्थी/लाभार्थियों का) के प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र सहित तथा विज्ञापन की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करते हुये दावा निस्तारण/भुगतान हेतु निर्धारित रूप-पत्र पर अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा परन्तु; यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक (लापता) के जीवित होने अथवा कहीं देखा-मुने जाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवाद प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरण में लाभार्थी/लाभार्थियों को “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872” की धारा 108 के अधीन सम्बन्धित लापता सरकारी सेवक के मृत घोषित किये जाने सम्बन्धी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गयी घोषणात्मक डिक्टी प्रस्तुत करनी होगी।

4—प्रत्येक अवसर पर लाभार्थी/लाभार्थियों से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र (जिसका प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-दो में दिया गया है) दो प्रतियों में भरवाया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को भेजी जायेगी।

5—इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत बीमा आच्छादन की धनराशि का भुगतान उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, भले ही इस प्रकार मानी गयी मृत्यु की तिथि सरकारी सेवक की अधिवर्षता प्राप्त करने की तिथि के बाद ही क्यों न पड़ती हो।

6—कृपया अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इन आदेशों से अवगत करा दें।

	विज्ञापन का प्रारूप-	भवदीय,
	परिशिष्ट-एक; तथा	
संलग्नक:	क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का	कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव,
	प्रारूप-परिशिष्ट-दो	विशेष सचिव।

संख्या बीमा—408/दस-97-105(ए) / 91 (टी० सी० १), तदूदिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद;
- 2—समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
- 3—श्री राज्यपाल का सचिवालय;
- 4—माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
- 5—सचिवालय के समस्त अनुभाग;
- 6—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय; तथा

7—अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकास दीप, स्टेशन रोड, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आलोच्य अवधि में निष्पादित कराये गये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्रों का एक संहत विवरण प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,  
संयुक्त सचिव।